

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चाकसू जिला जयपुर (ग्रामीण)।

संख्या :- 122/2020

सुज बनाम जगदीश

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
24/6/24	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी व स्वयं प्रार्थी को सांयकाल 6 बजे तक बार बार आवाज लगाने के बावजूद हाजिर अदालत नहीं आये न ही प्रार्थी की ओर से अन्य कोई पैरवी करने हेतु हाजिर अदालत आये। अतः प्रार्थना पत्र (अस्थायी निषेधाज्ञा) का अदम हाजरी एवं अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। (36) उपखण्ड अधिकारी चाकसू (जयपुर) उपखण्ड, जयपुर	